कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

// आदेश //

भोपाल दिनांक 23.5.2009

क्रमांक 169 /आउशि/लेखाकेश–9/2009, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2004–नियम–चार दिनांक 23 दिसंबर 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 15 एवं 16 में संशोधन किये गये हैं। नियम–16 बी(दो) (2) के अनुसार विशेष प्रकरणों में आहरण की स्वीकृति हेतु अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए विभागाध्यक्ष एवं राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों एवं समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालयों को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं आंशिक अंतिम विकर्षण से संबंधित वित्तीय शक्तियां एवं वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर निम्नानुसार अधिकार एतद् द्वारा प्रत्यायोजित किए जाते हैं–

1– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल, रजिस्ट्रार, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम–15 के अंतर्गत निधि से अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति संबंधी वित्तीय अधिकार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ समस्त प्राचार्यों को प्रत्यायाजित किये जाते हैं।

2– प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों को नियम–15 एवं 16 के अंतर्गत तथा उक्त बिन्दु–1 में उल्लेखित शासकीय सेवकों को नियम–16 के अंतर्गत आंशिक अंतिम विकार्षण की स्वीकृति संबंधी वित्तीय अधिकार एतद्द्वारा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश को प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम एवं आंशिक अंतिम विकर्षण संबंधी प्रकरण पूर्ववत कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल से निराकृत किये जाते रहेंगे।

4– महाविद्यालयों एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालयों में पदस्थ/कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को उक्त निधि के नियम 16 बी (दो) (2) के अंतर्गत विशेष प्रकरणों में आहरण की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग से प्राप्त की जावे।

5— उपरोक्त व्यवस्था लागू होने से ऐसे समस्त अभिलेखों का संधारण स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में किया जावेगा एवं आदेश की एक प्रति आयुक्त, उच्च शिक्षा के कार्यालय को भेजी जावेगी जो संधारित कर अभिलेख के परीक्षण के लिए प्रयोग की जावेगी।

6— यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल

पृ.क्र. 170 /आउशि/लेखाकेश–9/2009 भोपाल,दिनांक 23.5.09

प्रतिलिपिः–

1— निज सहायक, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
2— निज सहायक, मा0 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
3— समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
4— समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5— समस्त अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
6— कम्प्यूटर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
7— स्टोर प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल की ओर रिकार्ड फाइल में संधारित करने हेतु।

आयुक्त
उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल